विधान संक्षेप

समिति का नाम मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति
(Society of Media Initiative for Values)

संस्था का कार्यालय : 85, कंचनबाग, कम्यूनिटी हॉल के सामने, इन्दौर

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

संस्था के उद्देश्य :

1. सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक समझ, भारतीय दृष्टि तथा मानवीय मूल्य निष्ठ जीवन शैली के पत्रकारों का संगठन करना, जो पत्रकारिता को नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज रचना के लिए संकल्पित, सचेष्ट तथा प्रयत्नशील करेगा ।
2. मूल्यनिष्ठ मीडिया का विकास करना ।
3. मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज निर्माण में मीडिया की सक्रिय भागीदारी के लिये कार्यक्रम, प्रशिक्षण, विमर्श एवं अनुसंधान करना ।
4. मूल्यनिष्ठ मीडिया का नेटवर्क बनाना तथा इस हेतु दस्तावेजीकरण करना ।
5. पत्रकारों, मीडियाकर्मियो के जीवन में नैतिक मूल्यों की धारणा के लिए कार्यक्रम, प्रशिक्षण, विमर्श एवं अनुसंधान करना ।
6. मूल्यनिष्ठ मीडियाकर्मी एवं जनसंचार माध्यमों की पहचान, उनको प्रोत्साहन, अधिमान्यता एवं विकास के प्रयत्न करना ।

नोट :-

1. मूल्य से आशय मानवीय मूल्य किंवा दैवी मूल्य, जीवन मूल्य, सनातन मूल्य अर्थात् वे मूल्य जिनके सहारे जीवन विकार मुक्त होता है ।
2. मूल्यनिष्ठ से आशय कि ऐसे मूल्यों को स्वीकारना, जीवन तथा कार्य में अपनाना उनके सहारे कार्यक्रम को संचालित करना ।
3. मूल्यनिष्ठ मीडिया से आशय मीडिया के समस्त रूपों की विषयवस्तु, व्यवहार, दृष्टिकोण में मानवीय मूल्यों का आधार होना है । इस आशय में मीडियाकर्मियो का व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण शामिल है ।

संस्था की सदस्यता

संस्था की सदस्यता वर्णित योग्यता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से दी जा सकेगी :

1. ऐसे मीडियाकर्मी, जो सकारात्मक सोच, भारतीय दृष्टि तथा जीवन मूल्यों की धारणा के पक्षधर हैं ।
2. ऐसे मीडियाकर्मी, जिनका मानवीय मूल्यों के आधार पर कार्य, कार्यक्रम में निष्ठा, विश्वास तथा आचरण है ।
3. मीडिया अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान से सम्बद्ध व्यक्ति जो मानवीय मूल्यों की धारणा, निष्ठा तथा आचरण को अपनाने के पक्षधर हैं ।
4. आध्यात्मिक तथा नीति–संगठन जिनका कार्य, कार्यक्रम, सहयोग मूल्यनिष्ठ समाज की संरचना का है और जो इस कार्य में मीडिया को सहभागी स्वीकार करते हैं ।
5. ऐसे लोग तथा संस्थाएं, जो मूल्य निष्ठ समाज की संरचना के लिए सहयोगी हैं और जिनका मूल्य–आधारित आचरण एवं विश्वास है तथा मीडिया को इस कार्य का सहभागी स्वीकार करते हैं ।
6. जिन्होंने 18 वर्ष या अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो । (संस्थाओं पर बंधनकारक नहीं)
7. भारतीय नागरिक हो ।
8. संस्था के उद्देश्यों से सहमत हो ।
9. संस्था के नियमों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हो ।

संस्था की सदस्यता

1. <u>प्रवर्तक :</u> संस्था की प्रवर्तित बैठक में उपस्थित तथा ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या संस्थान जो सदस्यता की योग्यता रखते हों तथा जिन्होंने रू.2000 (अक्षरी दो हजार रूपये) शुल्क चुका दिया हो । इन्हे मताधिकार होगा ।
2. <u>आजीवन :</u> सदस्यता की योग्यता धारक जो व्यक्ति अथवा संस्था एकमुश्त रू. 3000 (अक्षरी तीन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क देगा । इन्हें मताधिकार होगा ।
3. <u>सामान्य :</u> सदस्यता की योग्यता धारक जो व्यक्ति अथवा संस्था रू. 400 (अक्षरी चार सौ रूपये) वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा । इन्हें मताधिकार होगा ।
4. <u>सम्मानित :</u> संस्था की कोर कमेटी अथा संचालन परिषद जिसे सदस्यता देना चाहे वह व्यक्ति अथवा संस्था । यह सदस्यता एक वर्ष के लिए होगी, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा । ऐसे सदस्यों की संख्या किसी भी वर्ष में चार से अधिक नहीं होगी । इन्हें मताधिकार नहीं होगा ।
5. <u>सहयोगी :</u> सदस्यता की योग्यता धारक जो व्यक्ति अथवा संस्था सहयोग करना चाहें, रू. 200 (अक्षरी दो सौ रूपये मात्र) वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर सहयोग सदस्य बन सकेंगे । मीडिया के विद्यार्थी इस श्रेणी के सदस्य हो सकेंगे । इन्हें मताधिकार नहीं होगा ।

सदस्यता के लिए आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया :

संस्था की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति / संस्थान् को निर्धारित आवेदन–पत्र पर उद्देश्यों की सहमति तथा नियम पालन की वचनबद्धता सहित रू. 200/– (अक्षरी दो सौ रूपये), जो वापस नहीं होगा, के साथ आवेदन करना होगा । सदस्यता छानबीन समिति की सिफारिश पर कोर समिति सदस्यता की अनुशंसा संचालन परिषद करेगी । संचालन परिषद सदस्यता की स्वीकृति / अस्वीकृति का निर्णय लेगी । इस अवधि के लिए समन्वयक, संचालन परिषद के किसी एक सदस्य की सहमति से आवेदक को अस्थायी सदस्यता प्रदान कर सकेंगे ।

सदस्यता की समाप्ति :

संस्था के किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त की जावेगी ।

1. आपराधिक आचरण पाये जाने पर ।
2. संस्था की सदस्यता से त्यागपत्र दिये जाने पर ।
3. सदस्य की मृत्यू हो जाने पर ।
4. सदस्य के पागल हो जाने पर ।
5. सदस्यता से निष्कासन किये जाने पर ।
6. सदस्यता शुल्क जमा न करने या नवीनीकरण न किये जाने पर ।

सदस्यता से निष्कासन :

संस्था के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर या ऐसी गतिविधियों में भाग लेने पर जिनसे संस्था के उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो । आजीवन सदस्य को संचालन परिषद के द्वारा तीन चौथाई बहुमत के निर्णय से निष्कासित किया जा सकेगा । अन्य सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही की विवेचना तथा पुष्टि कर सकेगी । निष्कासन से पूर्व सदस्य को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावेगा । निष्कासन का निर्णय गुण–दोष के आधार पर संचालन परिषद द्वारा लिया जायेगा । जिसकी सूचना संबंधित को विधिवत् दी जावेगी ।

सदस्यता पंजी (रजिस्टर)

संस्था अपने प्रधान कार्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखेगी । इस पंजी में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंकित की जावेंगी ।

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय एवं अन्य विवरण एवं तिथि सहित हस्ताक्षर।
2. सदस्यता के प्रारंभ होने की तिथि एवं सदस्यता की श्रेणी ।
3. सदस्यों से लिए गये सदस्यता शुल्क की राशि, रसीद क्रमांक एवं दिनांक ।
4. सदस्यता की समाप्ति का दिनांक संदिष्ट कारण सहित ।
5. अन्य कोई विवरण यदि हो ।

सदस्यों से प्राप्त शुल्क :

संस्था के सदस्यों से प्राप्त शुल्क संस्था के कोष फण्ड में जमा होगा । सदस्यता शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में अदेय या अहस्तांतरणीय है ।

संस्था के शासी निकाय :

संस्था के संचालन, कार्यक्रम एवं गतिविधियों के लिए गठित शासी निकाय निम्नवत् होंगे ।

1. महापरिषद ।
2. संचालन परिषद ।
3. कोर समिति ।
4. सचिवालय (कार्यालय)
5. समन्वयक ।

* * * * * * * * * * * * *